

अदालत अहमदाबाद
फर्द अहकाम
 एडवोकेट वनाम अहमदाबाद

गायालय

ख्या 56/21 12

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3 ² / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उ. प. पत्रावली आदेश..... अग्रणी पं. नं. 20/21/25 का पेश हुआ।	
21 ² / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उ. प. पत्रावली आदेश..... अग्रणी पं. नं. 6/3/25 का पेश हुआ।	
6 ³ / ₂₅	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अग्रणी संख्या - 14 के नोटिस लेख से मुकदमा क्लिप्त है। अतः उनकी तारीख पूर्ण मानी जाती है। अग्रणी संख्या 13, 14, 15, 20, 21 आवतु तारीख उपस्थित है। अतः तारीख पर उपस्थित रहे पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली कास्टे उचित आदेश देते हैं कि 17 ³ / ₂₆ के पेश की जाये।	
17 ³ / ₂₅	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अग्रणी 13, 14, 15, 20, 21 कागजी उपस्थित है। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी की धारणा के एकपक्षीय बयान मुनी गई। प्रार्थी की धारणा के अतिरिक्त कि प्रार्थी द्वारा विवाहित आराजी तारीख के विषय पर इस रूप की गई है परन्तु प्र-उपस्थित किताब द्वारा उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी। प्रार्थी का समूह (दस्तावेज) के आवतु में 18 दस्तावेज दर्ज किया है यदि प्रार्थी का उक्त आराजी का बयान, करते हैं तो प्रार्थी को उपस्थित कर दिया।	




फर्द अहकाम

हुमान बनाम अर्जुन

नाम न्यायालय ACN अर्जुन उमर

केस संख्या 56/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>अतः प्रस्तुत तर्कों, प्रमाणों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, कपूरगीर शक्ति, सुरक्षा का संतुलन प्राप्ति के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः वाप बहिष्कार को रोकने के लिए दिनांक 3/8/2021 को जारी अनारिग अस्थायी निषेधना आदेश को मूलवाप के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। पक्षवाली फिमल शुका लेन फाइल पता है।</p> <p style="text-align: right;">अर्जुन</p> <p style="text-align: right;"></p>